जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति **दिनांक-16.09.2025**

एसओजी टीम शामली व थाना कैराना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में "ऑपरेशन सवेरा" अभियान के क्रम में 02 अंतर्जनपदीय मादक पदार्थ तस्कर गिरफ्तार कब्जे से अवैध 02 किलो 55 ग्राम स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत करीब 02 करोड़ 55 हजार रुपये), एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा व तस्करी में प्रयुक्त बलेनो गाड़ी बरामदः-

श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर के कुशल नेतृत्व में परिक्षेत्र सहारनपुर के अंतर्गत मादक **पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी एवं बिक्री पर प्रभावी रोकथाम** हेतु एक विशेष अभियान **"ऑपरेशन सवेरा : नशे के अंधकार से, जीवन के उजाले की ओर"** चलाया जा रहा है।

इसी अभियान के क्रम में **पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह** के कुशल निर्देशन, **अपर पुलिस अधीक्षक शामली श्री संतोष कुमार सिंह** के प्रभावी नेतृत्व तथा **क्षेत्राधिकारी कैराना** के निकट पर्यवेक्षण में दिनांक 15/16.09.2025 की रात्रि में एसओजी टीम शामली व थाना कैराना पुलिस की संयुक्त कार्यवाही में **"ऑपरेशन सवेरा"** अभियान के क्रम में **02 अंतर्जनपदीय मादक पदार्थ तस्कर उस्मान पुत्र दिलशाद, इंसार पुत्र मोसीन निवासीगण ग्राम ईस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली को अवैध 02 किलो 55 ग्राम स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत करीब 02 करोड़ 55 हजार रुपये), एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, तस्करी में प्रयुक्त बलेनो गाड़ी व 150 पारदर्शी पॉलिथीन** सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कैराना पर मु0अ0सं0 577/2025 धारा 08/21 एनडीपीएस अधिनियम पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण उस्मान व इंसार उपरोक्त के मादक पदार्थो तस्करी के अवैध कारोबार के सम्बन्ध में FORWARD AND BACKWARD LINKS की जांच की जा रही है। घटना में लिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

घटना का विवरणः- अभियुक्तगण उस्मान व इंसार नें पूछताछ पर स्मैक को जनपद बरेली से खरीदकर लाना बताया गया है। अभियुक्त उस्मान ने यह भी बताया कि उसकी पत्नी भी जनपद बरेली व गंगोह जनपद सहारनपुर से स्मैक खरीद कर लाती है जिसे हम आस पास के गांवो में ले जाकर बेच देते है। आज भी हमे स्मैक बेचने के लिये जाना था लेकिन पुलिस ने हमको पकड़ लिया। बरामदगी के सम्बन्ध में विशेष टीम गठित कर सप्लायर एवं खपत वाले क्षेत्र व व्यक्तियों की पहचान करने हेतु विस्तृत पूछताछ की जा रही है।

नाम व पता अभियुक्तः-

- उस्मान पुत्र दिलशाद निवासी ग्राम ईस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।
- इंसार पुत्र मोसीन निवासी ग्राम ईस्सोपुर खुरगान थाना कैराना जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण

- अवैध 02 किलोग्राम 55 ग्राम स्मैक (अन्तर्राष्ट्रीय अनुमानित कीमत करीब 02 करोड़ 55 हजार रुपये)
- तस्करी में प्रयुक्त बलेनो गाड़ी बिना नम्बर प्लेट।
- एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा।
- 150 पारदर्शी पॉलिथीन।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त उस्मान उपरोक्तः-

- मु0अ0सं0 439/2024 धारा 323/498ए/504/506 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
- मु0अ0सं0 577/2025 धारा 08/21 एनडीपीएस अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त इंसार उपरोक्तः-

- मु0अ0सं0 144/2022 धारा 323/504/506/325 भादवि थाना कैराना जनपद शामली।
- मु0अ0सं0 121/2025 धारा 115(2)/118(1)/352/351(2)/131/333/117(2) बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली।
- मु0अ0सं0 577/2025 धारा 08/21 एनडीपीएस अधिनियम थाना कैराना जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

- प्रभारी निरीक्षक श्री समयपाल अत्री थाना कैराना जनपद शामली।
- उ0नि0 श्री कुलदीप कुमार प्रभारी एसओजी टीम जनपद शामली।
- उ0नि0 श्री महेश कुमार थाना कैराना जनपद शामली।
- उ0नि0 श्री युनुस खान थाना कैराना जनपद शामली।
- है0का0 ललित शर्मा थाना कैराना जनपद शामली।
- है0का0 शहजाद थाना कैराना जनपद शामली।
- है0का0 आकाशदीप थाना कैराना जनपद शामली।
- है0का0 राहुल थाना कैराना जनपद शामली।
- है0का0 प्रदीप कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।
- है0का0 रोहित कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।

- है0का0 हरविन्दर कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।
- का0 मनीष कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।
- का0 अनुज कुमार एसओजी टीम जनपद शामली।
- का0 दीपक निर्वाण एसओजी टीम जनपद शामली।
- का0 राममूर्ति तेजा एसओजी टीम जनपद शामली।
- का0 ललित चौधरी एसओजी टीम जनपद शामली।
- का0 भानू थाना कैराना जनपद शामली।

<u>थाना झिंझाना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामलें में वाछिंत 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

ज्ञात हो कि थाना झिंझाना क्षेत्रान्तर्गत नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनाँक 11.09.2025 को थाना झिंझाना पर लिखित तहरीर दी गयी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में आज दिनाँक 16.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा नाबालिग को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना झिंझाना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता अभियुक्तः-</u>

1.सौरव पुत्र राजपाल निवासी गोपी वाली गामडी अंसल टाउन जनपद करनाल हरियाणा।

<u>थाना कैराना/झिंझाना पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तारः-</u>

आज दिनांक 16.09.2025 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री एन0पी0 सिंह के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कैराना/झिंझाना पुलिस द्वारा वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना/झिंझाना शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-</u>

1.दिलशाद उर्फ सादा पुत्र भूरा निवासी ग्राम भूरा थाना झिंझाना जनपद शामली।

2.इशत्याक उर्फ इशाक पुत्र इशफाक पुत्र अशफाक निवासी ग्राम जिजौला थाना झिंझाना जनपद शामली।

उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्व प्रभावी कार्यवाही व पैरवी के क्रम में जानलेवा हमला कर गाली गलौच करने व धमकी देने के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई 03 वर्ष कारावास की सजा एवं 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित भी किया गया।

वर्ष 2022 में अभियुक्त राकेश उर्फ मंगता पुत्र बाबूराम निवासी मौहल्ला बरखण्डी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली के विरुद्ध थाना कोतवाली शामली पर मु0अ0सं0 336/2022 धारा 308/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था । इस मामले में शामली पुलिस द्वारा तत्परता से साक्ष्य संकलन करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा सुसंगत ठोस साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया । इसी क्रम में आज दिनांक 16.09.2025 को माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीष शामली द्वारा अभियुक्त राकेश उर्फ मंगता उपरोक्त को दोषी पाते हुए धारा 308 भादवि में 03 वर्ष का कारावास व 10,000/- रुपये अर्थदण्ड, धारा 504 भादवि में 06 माह कारावास, धारा 506 भादवि में 06 माह कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह के कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

नाम व पता अभियुक्तः-

1.राकेश उर्फ मंगता पुत्र बाबूराम निवासी मौहल्ला बरखण्डी थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

<u>उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप शामली पुलिस द्वारा अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी करके 07 मामले में 15 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के माध्यम से सुनाई सजा व कुल 8,100/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।</u>

1.वर्ष 2023 में अभियुक्तगण 1.नफीस पुत्र अब्दुल 2.मासूम अली पुत्र सदाकत निवासीगण टपराना थाना झिंझाना शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 372/2023 धारा 286 भादवि व 5/9 बी विस्फोटक अधिनियम पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी करते हुए आज दिनांक 16.09.2025 को माननीय न्यायालय एसीजेएम कैराना से अभियुक्तगण उपरोक्त को 3,000-3,000/- रुपये अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर 07-07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

2.-वर्ष 2021 में अभियुक्त कालूराम उर्फ कृत सिंह पुत्र महावीर सिंह निवासी मौहल्ला उत्तरी विकास नगर कस्बा एलम थाना कांधला शामली के विरुद्ध थाना कांधला पर मु0अ0सं0 486/2021 धारा 279/338/427 भादवि पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी करते हुए आज दिनांक 16.09.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम से अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व 1,500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड अदा न करने पर 07 दिवस अतिरिक्त कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है।

3.-वर्ष 2023 में अभियुक्तगण 1.बिल्लू उर्फ आशु पुत्र तीतिया बंजारा निवासी मौहल्ला काशीराम कालोनी जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली 2.जाहिद पुत्र जरीफ निवासी मौहल्ला कोटला थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 197/2023 धारा 13 जुआं अधिनियम पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी करते हुए आज दिनांक 16.09.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम से अभियुक्तगण उपरोक्त को 50-50/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।

4.-वर्ष 2019 में अभियुक्त अजय पुत्र राजवीर निवासी मौ0 शाहविलायत कस्बा व थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 257/2019 धारा 13 जुआं अधिनियम पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी करते हुए आज दिनांक 16.09.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम से अभियुक्त उपरोक्त को 50/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।

5.-वर्ष 2021 में अभियुक्त सुरेश उर्फ तोता पुत्र कलीराम निवासी ग्राम हिन्ड थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 405/2021 धारा 13 जुआं अधिनियम पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी करते हुए आज दिनांक 16.09.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम से अभियुक्त उपरोक्त को 50/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।

6.-वर्ष 2025 में अभियुक्तगण 1.इसरार पुत्र मुश्ताक 2.अंकित पुत्र धर्मपाल निवासी मौहल्ला शाहगाजीपुर जलालाबाद थाना थानाभवन जनपद शामली के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 158/2025 धारा 13 जुआं अधिनियम पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी करते हुए आज दिनांक 16.09.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम से अभियुक्त उपरोक्त को 50/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है।

7.-वर्ष 2023 में अभियुक्तगण 1.मासूम पुत्र हलीम अहमद निवासी इबादुल्लापुरा माजरा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 2.पंकज पुत्र भोपाल निवासी ग्राम रायपुर अटेरना थाना फुगाना जनपद मुजफ्फरनगर 3.महसून उर्फ मैसूर पुत्र मककूल निवासी ग्राम बीनपुर जनपद मुजफ्फरनगर 4.गौरव कुमार पुत्र मुकेश निवासी ग्राम नसीरपुर थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर 5.सोनू पुत्र सोमपाल निवासी ग्राम अमहैटा थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 6.अभिषेक पुत्र नरेश सिंह

निवासी ग्राम नसीरपुर थाना तितावी जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध थाना थानाभवन पर मु0अ0सं0 158/2023 धारा 13 जुआं अधिनियम पंजीकृत किया गया था । पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय में प्रभावी एवं सशक्त पैरवी करते हुए आज दिनांक 16.09.2025 को माननीय न्यायालय सीजेजेडी/जेएम से अभियुक्तगण उपरोक्त को 50-50/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया है ।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI